

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

भारतीय बस्ती

बस्ती 23 फरवरी 2024 शुक्रवार

सम्पादकीय

चुनाव में धांधली और न्यायपालिका

चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव के दौरान अनुचित तौर-तरीके अपनाए जाने के आरोपों के बाद सामने आए नतीजे के रूप में जो अलोकतांत्रिक स्थिति उपजी थी, उसे शीर्ष अदालत के निर्णय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब सवाल यह है कि जब एक नगर निगम के मेयर के चुनाव में इस स्तर तक धांधली हो सकती है तो बड़े चुनावों को लेकर राजनीतिक दल किस स्तर तक तक जा सकते हैं? यहां सवाल सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पर तो है ही, प्रश्न इस कदम शासित प्रदेश के उन आला अधिकारियों पर भी उठे हैं जिनकी जवाबदेही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाये रखने के लिये थी। चंडीगढ़ नगर निगम का सवाल इसीलिये अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तरह यहां निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा नहीं है। इस प्रकरण से सवाल इस केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन में दखल रखने वाले केंद्र के बड़े अधिकारियों पर भी उठते हैं। विपक्षी दल इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल के इस्तीफे को भी इस घटनाक्रम से उपजी प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। जिसके निहितार्थ चुनाव के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया के प्रति असंतोष के रूप में देखे गये। बहरहाल, अदालत के फैसले के बाद उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन्होंने सारे प्रकरण के प्रति आखें मूंद रखी। आखिर क्यों हमारे राजनीतिक दल भी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता कायम नहीं रख पाते? क्यों हर मामले में कोर्ट को दखल देकर न्यायसंगत चुनाव का मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है? यदि कोर्ट नगर निगम और पालिकाओं के छोटे मामलों में बार-बार हस्तक्षेप करने को बाध्य होगी तो क्या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को सुलझाने के लिये अदालत का समय प्रभावित नहीं होगा? कुछ न कहीं अदालतों में लगे वादों के अंवार के मूल में यह वजह भी है कि राजनीतिक दलों के पंचदे सुलझाने में कोर्ट का समय अनावश्यक रूप से व्यय होता है। माना जाना चाहिए कि चंडीगढ़ महापौर के मामले में दिया गया शीर्ष अदालत का फैसला भ्रष्ट राजनेताओं के लिये सबक ही नहीं, मार्गदर्शक नजीर भी साबित होगी।

बहरहाल, शीर्ष अदालत के फैसले ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राणवायु दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप सुप्रियो ने पुरानी कहावत दोहराते हुए कहा भी कि 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं'। अब वे सुप्रियो कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा पर नये सिर से सेमलावर हो रहे हैं। बल्कि वे भाजपा के आगामी लठार सभा चुनाव में जीत के दावों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, चंडीगढ़ मेयर पद पर आप व कांग्रेस के साझे प्रत्याशी की जीत को अब इंडिया गठबंधन की जीत के रूप में दर्शाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले महापौर चुनाव में ऊंच-नीच हुई थी, लेकिन मामला इतनी चर्चा में नहीं आया। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव को लेकर आप व कांग्रेस के तालमेल को लेकर नये सिर से चर्चा होने लगी है। निस्संदेह, आप व कांग्रेस खेमे में इस फैसले को लेकर उत्साह है और अपने-अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की जा रही है। न्यायसंगत ढंग से अपने वोट का इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। वहीं लोकतंत्र में संख्याबल का सम्मान किया जाना चाहिए। मेयर चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बनाने वाले पीठासीन अधिकारी को शीर्ष अदालत की लताड़ निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिये सबक साबित होगा। सवाल यह भी है कि पीठासीन अधिकारी ने यह कृत्य पार्टी के प्रति वफादारी जताने के लिये किया या फिर उस पर बाहरी दबाव था। निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व को भी हालिया घटनाक्रम से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। उपर्युक्त छवि पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। निस्संदेह, किसी लोकतंत्र की विश्वसनीयता तभी कायम रह सकती है जब चुनाव प्रक्रिया छल-बल के प्रभाव से मुक्त हो सके। हमारे तंत्र को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनादेश का सम्मान करने हुए कोई चयन प्रक्रिया संपन्न हो। बाहरी दबाव से निर्णय बदलना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा ही होगा।

यूपी में बदलता राजनीतिक परिदृश्य



—आशीष वशिष्ठ—

आखिरकार कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर मुहर लग ही गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुई तीखी बयानबाजी और तल्लख रिसातों के बीच तमाम ऐसे मौके आए, जब लगा कि यह गठबंधन सिरे नहीं चढ़ेगा। लेकिन अंत मला तो सब मला। सीटों का बंटवारा ऐसे समय हुआ है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन भाजपा को चुनौती दे पाएगा? क्या कांग्रेस और सपा के साथ से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण और नतीजे बदलेंगे? क्या सपा कांग्रेस की दोस्ती से बसपा का नुकसान होगा? क्या सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा के चार सी पाँच के मिशन को यूपी में रोकेगा में सफल होंगे?



हाल में हुए चुनाव का वोटिंग पैटर्न को देखें तो मुस्लिम वोट एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ लौट रहा है, खासकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सियासी हालात बदलें हैं। ऐसे में तमाम दल जो कांग्रेस के कोर वोट बैंक पर काबिज और अपने अपने राज्य में बड़े भाई की भूमिका में हैं, ऐसे में वे कांग्रेस को दोबारा से उभरने का मौका नहीं देना चाहते हैं। सीट बंटवारे में जो देरी हुई उसकी वजह मुस्लिम बहुल सीटें ही बतायी जाती हैं। फिलहाल सपा प्रमुख पीडीएफ का फार्मूला जमीन पर उतारने के लिए मेहनत कर रहे हैं।

सीट बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। जबकि समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी प्रदेशभर आजाद की 'आजाद समाज पार्टी' समेत कुछ छोटे दलों को अपने कोटे से सीट दे सकती है। यानी अखिलेश यादव और सपा को तय करना है कि गठबंधन के साथ के साथ बाकी कौन सी पार्टियाँ 63 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। यूपी में 7 साल बाद कांग्रेस और सपा दोबारा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों ने साथ

कांग्रेस मले 17 सीटों पर उतरेगी, लेकिन जानकर का मानना है कि गठबंधन में यह अधिक फायदे में है। जो 17 सीटें उसे मिली हैं, उसमें रायबरेली ही उसके खाते में है। जबकि, अमेठी, कानपुर व फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। बांसगांव में पार्टी ने प्रत्याशी ही नहीं उतारा था। बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गाजियाबाद में सपा दूसरे नंबर पर थी। 2019 में कांग्रेस ने 1977 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन किया था और उसके एक सीट मिली थी। वोट 7 प्रतिशत से भी नीचे आ गए थे।

यदि 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें, बीजेपी ने अखिलेश पर 71 सीटों के साथ 42.63 फीसदी वोट हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी को 22.35 फीसदी वोट और पांच सीटें मिली थीं लेकिन बीएसपी को 19.7 फीसदी वोट मिलने के बावजूद या एकी भी सीट नहीं मिली थी। वहीं कांग्रेस महज 7.53 फीसदी मतों के बावजूद दो सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह 2 सीट पर सिमट गई। इसके बाद भी 17 सीटें मिलना उसके लिए फायदे का सौदा है।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। लेकिन इस गठबंधन का फायदा नहीं की जगह दोनों को हारका फानसना हुआ। कांग्रेस की 2012 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीती थीं। गठबंधन के बाद वो 7 सीटों पर सिमट गई। सपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटें जीती थीं। वह इस बार 47 सीटों पर सिमट गई। वह परती बार थी जब सपा की सीटों का आंकड़ा उसे से नीचे चला गया। अलग में, कांग्रेस और सपा ने गणित लगाया था कि वे दोनों पार्टियाँ साथ चुनाव लड़ेंगी तो दोनों का वोट

नये सन्दर्भों में चुनाव आयोग की भूमिका

—कौशल किशोर—

भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे पर 50 साल पहले शुरू हुई बहस एक बार फिर से रूढ़ी हो गई है। उप-राष्ट्रपति जगदीप मखड़क अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 1973 के चर्चित केशवानंद भारती की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद की शक्ति पर सवाल उठाने पर यह कहना मुश्किल होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। उच्चतम न्यायालय ने आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने के फैसले से अपने ही स्तर पर सवाल का टीका लगाया था। वीरेंद्र कल्ला चुनावी बाढ़ को नागरिक अधिकारों का हनन मान कर अवैध प्रक्रिया का रद्द करने के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। सभा ही न्याय पालिका और विधान पालिका के बीच नियुक्तियों के नाम पर तकरार उत्पन्न है। आज सुचारु के पक्ष में व्यापक जन समर्थन और पारदर्शिता का अभाव दिखता है। उप-राष्ट्रपति जगदीप दिल्ली में कही बात पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ मुन्सई में नानी पालकीवाला स्मृति व्याख्यान में प्रतिक्रिया देते हैं। संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को उल्लंघित व्यवहार के समर्थन करार दिया है। हैरत की बात है कि इस व्यवहार की व्याख्या कर रहे हुए उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उनमें से कई संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन का ही परिधान है।



चुनावी बाढ़ के साथ चुनाव सुधार के प्रश्न पर बहस छिड़ी है। विदेश गोस्वामी समिति की सिफारिश सुधार के बिंदुओं को उकेरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति पर हावी दौष के निवारण के लिए आप सार्थक प्रयास की जरूरत है। हैरत होती है कि सत्ता में रहते हुए राजनीतिक दल जिन नीतियों और योजनाओं को लागू करने की बात करती है, विपक्ष में होने पर उन्हीं का विरोध भी करती है। चुनाव पर आखिर इस लोकतंत्र में चुनाव आयोग पार्टी टाइटम काम करने वाली संस्था बन कर रह गई। अपराधियों व भ्रष्टाचारियों को विधान मंच से दूर रखने की राजनीति खानापूर्ति की कवायद साबित हुई है।

परिवर्तन शून्य होने पर अप्रासंगिक ही हो जाएगा। लोकतंत्र की जननी होने का दावा करने वाले भारत की प्रक्रिया के अनुकूल विधियों को प्रस्तावित करना काल सापेक्ष साबित होगा।

अनुच्छेद 328 में वयस्क मतदाता अधिकार के लिए और प्राथमिक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 94 में गोपीन्य मतदान का प्राधान्य है। संविधान का 61वां संशोधन 28 मार्च 1989 को लागू किया गया था। भारतीय लोकतंत्र 4 दशकों की सामान्य का समय सीमा को 18 वर्ष की समय सीमा को 18 वर्ष कर देती है। जस्टिस बी.एम. तारकुरे के समर्थन की इस सिफारिश को समय के साथ चलने की पहल माला जाता है। 21वीं सदी इंटरनेट मीडिया का युग साबित होता है। इसमें गोपीन्य मतदान की शर्त भंग मानने की वजहलत करती प्रतीत होती है। कजाकर तबके के नागरिकों को निम्न करने के नाम पर हमने चुनावों में 6 गंभीरता की भांग प्रशस्त किया है। मजबूत पर दबावों का दम इंडी.पी.एम. को जन्म देता है। फिर बी.पी.ए. भी इस कड़ी में जुड़ गई। अब एक और तकनीकी अपनो जगह

साबित हुई है। इस मामले में की गई कोशिशें सार्वजनिक जीवन में आचार्यता पर दारदृष्टता सुनिश्चित करने के बदले नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था को गडती प्रतीत होती हैं। विधान मंचन तक पहुँचने वाले दुष्टों को रोकने की जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग की नहीं होनी चाहिए? क्या इस काम में सफलता मिली है? चुनाव की प्रक्रिया में इसके लिए मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। प्रश्न प्रचार के क्रम में झूठ, भ्रम और झूठ का मायाजाल परसता जाता है। जुमलेबाजी के बूते खड़े लोकतंत्र को सत्तार और धर्म के मजबूत खूंट के दूते खड़ा करना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया में आनुवंशिक परिवर्तन से ही ऐसा संभव हो सकेगा। मतदाताओं को इंटरनेट मीडिया पर अपनी बात रखने की छुट है। अपनी पसंद के प्रतिनिधि और राजनीतिक दल के विषय में मतदाता की बात का संज्ञान लेने हेतु चुनाव आयोग को बेहतर प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहिए। केशवानंद भारती मामले में संविधान की शक्तियों को बुनियादी सिद्धांत के नाम पर सीमित करने का ही प्रयास किया गया था। निर्विवाद संसद की शक्तियों को सीमित करने का यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे और कब मिला? आज न्यायमूर्तियों को इसका भी जवाब देना चाहिए। इसी तरह चुनावी बाढ़ की आड़ में आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की बात पर सत्तारूढ़ दल कटघरे में हैं।

अब यादों में अमीन सायानी



—जाहिर खान—

आखिरकार, वह आवाज खामोश हो गई, जो लाखों लोगों के दिलों पर राज करती थी। जिस आवाज ने गुजरकर, गुंफक का आम आदमी भी एक बगल में महसूस करता था। कुछ वक्त के लिए ए.बी. सी.व. वह अपना गम—ओ—रंज मूल जाता था। अब ये आवाज उन्हें भी सुनाई नहीं देती। आजादी के बाद जिन लोगों ने रेशियो को आम आदमी तक पहुँचाया, उनकी लोकप्रियता बर्दाद, उनमें अवलम नंबर पर अमीन सायानी का नाम था। जो अब दुनिया का सारा के लिए अलविदा कह गये। वह कुछ सालों से सेंट की परेशानियाँ से गुजर रहे थे। एक दौर था, जब अमीन सायानी रेशियो की आवाज थे। उसकी आवाज को सुनकर कि रेशियो की आवाज के माध्यम अमीन सायानी थे। हमने ये एक बार खुबर के दिन पूरे कैमिली सुनाई देती। रेशियो पर जैसे ही उनका सुपर हिट प्रोग्राम 'विनाका गीतमाला' शुरू हुआ, तो वजहत जैस बन जाता। ऐसी मकबूलियत बहुत कम रेशियो प्रोग्राम और एनाउंसर को हासिल हुई। अमीन सायानी के बड़े भाई हामिद सायानी रेशियो सीलोन में प्रोड्यूसर थे। उन्होंने ही अमीन सायानी का रिश्ता रेशियो से जोड़ा। हामिद सायानी के माध्यम पर अमीन सायानी ने ऑल इंडिया रेशियो में 'हिंदी बॉक्सकार्टर के लिए आवेदन किया।' अब इस बात पर शायद ही कोई शक रहने कि उनकी आवाज रेशियो के लिए रिजेक्ट कर दी गई थी। इस घटना के बाद अमीन सायानी थोड़ा निराश हो गए। अपने गाइड और उत्साह हामिद सायानी के पास पहुँचे, तो उन्होंने अमीन से रिक्वाइरिंग के दौरान रेशियो स्टेशन के हिंदी कार्यक्रम सुनने को कहा। अमीन सायानी ने बॉक्सकार्टर का कन सीखने और उसे फॉलो करने में जी-जान लगा दिया।

बीसवीं सदी के पाँचवें दशक में रेशियो सीलोन पर हामिद सायानी

की परेशान में अंग्रेजी गीतों का एक प्रोग्राम बहुत बरिया प्रदर्शन कर रहा था। इस कामयाबी से मुतासिर होकर एच कंपनी ऐसा ही एक प्रोग्राम हिंदी फिल्म की गीतों का भी करना चाहती थी। अमीन सायानी को हामिद सायानी की आवाज का बदन की। हामिद सायानी ने इस प्रोग्राम खनन न करते हुए अमीन सायानी को इसकें लिए राजी कर लिया। इस तरह रेशियो पर एक शाहदार प्रोग्राम के रूप का आगाज हुआ जिसका नाम 'विनाका गीतमाला' का नाम था। जो अब दुनिया का सारा के लिए अलविदा कह गये। वह कुछ सालों से सेंट की परेशानियाँ से गुजर रहे थे। एक दौर था, जब अमीन सायानी रेशियो की आवाज थे। उसकी आवाज को सुनकर कि रेशियो की आवाज के माध्यम अमीन सायानी थे। हमने ये एक बार खुबर के दिन पूरे कैमिली सुनाई देती। रेशियो पर जैसे ही उनका सुपर हिट प्रोग्राम 'विनाका गीतमाला' शुरू हुआ, तो वजहत जैस बन जाता। ऐसी मकबूलियत बहुत कम रेशियो प्रोग्राम और एनाउंसर को हासिल हुई। अमीन सायानी के बड़े भाई हामिद सायानी रेशियो सीलोन में प्रोड्यूसर थे। उन्होंने ही अमीन सायानी का रिश्ता रेशियो से जोड़ा। हामिद सायानी के माध्यम पर अमीन सायानी ने ऑल इंडिया रेशियो में 'हिंदी बॉक्सकार्टर के लिए आवेदन किया।' अब इस बात पर शायद ही कोई शक रहने कि उनकी आवाज रेशियो के लिए रिजेक्ट कर दी गई थी। इस घटना के बाद अमीन सायानी थोड़ा निराश हो गए। अपने गाइड और उत्साह हामिद सायानी के पास पहुँचे, तो उन्होंने अमीन से रिक्वाइरिंग के दौरान रेशियो स्टेशन के हिंदी कार्यक्रम सुनने को कहा। अमीन सायानी ने बॉक्सकार्टर का कन सीखने और उसे फॉलो करने में जी-जान लगा दिया।

नेताओं ने ती भाजपा की सदस्यता
संवाददाता-सिद्धार्थनगर।
भाजपा जिला कार्यालय पर जिला
यक्ष कन्हैया यासवार की अध्यक्षता
में आयोजित मिशन समारोह में पूर्व
चेयरमैन समेत दो सौ से अधिक क्रा.
नगर, बीडीसी, समासद व नगर दलों
के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की
नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा
की सदस्यता ग्रहण की।
सदस्यता ग्रहण करने वालों में
नगर यासवार परिषद सिद्धार्थनगर
के पूर्व अध्यक्ष यासवार बिहारी
जाससवार, पूर्व प्रचारी नगर पंचायत
मुमुरियायासवार, थाना सुमर अहमरि,
शक्ति जाससवार, आनंद प्रकाश यादव,
डी. अंबुजा आदि शामिल रहे।